राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–869/2011

डॉ. सुमित्रा चौधरी मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधि
1/1 डॉ. मखमल चौधरी पत्नी स्व.श्री डॉ. सुमितेर चौधरी
1/2 विपूल चौधरी पुत्र स्व.श्री सुमितेर चौधरी
1/3 शुभम चौधरी पुत्र स्व.श्री सुमितेर चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ईएसआई योजना, लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.09.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस प्रकरण में मूल अपीलार्थी डॉ. सुमित्रा चौधरी की मृत्यु हो चुकी है। अतः उनके विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 30.08.1984 के द्वारा हुई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 17.09.1984 को कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ हर वर्ष 17 सितम्बर को दिया जाता था। अपीलार्थी को 01.09.1986 को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया, जो 75 रुपये दिया गया, जबकि अपीलार्थी को 275 रुपये का लाभ दिया जाना चाहिए था। इसके बाद 713 दिन बाद अपीलार्थी को दूसरी वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। इस कारण से अपीलार्थी की वेतन विसंगति उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु उसके अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। वेतन के भुगतान में हुई विसंगति के कारण अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल जो कि दिनांक 13.02.1985 को नियुक्त हुआ था, उन्हें अपीलार्थी से ज्यादा वेतन प्राप्त हो रहा है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि

अपीलार्थी के वेतन को स्टेप–अप करते हुए उससे कनिष्ठ व्यक्ति डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल के समान वेतन दिया जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि विभाग द्वारा अपीलार्थी का वेतन नियतन नियमानुसार किया गया है एवं वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गयी है। अपीलार्थी ने पे–अनोमोली का आवेदन नियमानुसार राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है एवं जिस चिकित्सक से पे–अनोमोलि करवाना चाहते हैं उसके वेतन के तथ्य राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किये है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य तर्कहीन होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल को अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है, जिस विसंगति को दूर किया जाकर अपीलार्थी के वेतन को स्टेप–अप किया जाये। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी से किसी कारण से अपीलार्थी से कनिष्ट व्यक्ति को अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण गुरूचरण सिंह ग्रेवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड एवं अन्य (2009)3 सुप्रिम कोर्ट केसेज 94 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2009 निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> 17. Something may be said with regard to Mr Chhabra's submissions about the difference in increment in the scales in which Appellant 1 and Shri Shori are placed, but the same is still contrary to the settled principle of law that a senior cannot be paid a lesser salary than his junior. In such ircumstances, even if there was a difference in the incremental benefits in the scale given to Appellant 1 and the scale given to Shri Shori, such anomaly hould not have been allowed to continue and ought to have been rectified so that the pay of Appellant 1 was also stepped up to that of Shri Shori, as appears to have been done in the case of Appellant 2.
>
> 18. We are unable to accept the reasoning of the High Court in this regard or the submissions made in support thereof by Mr Chhabra, since the very object to be achieved is to bring the pay scale of Appellant 1 on a par with mat of his junior. We are clearly of the opinion that the reasoning of the High Court was

erroneous and Appellant 1 was also entitled to the same benefits of my parity with Shri Shori as has been granted to Appellant 2.

19. We, accordingly, allow the appeals and set aside the judgment of the High Court. Consequently, the writ petition is also allowed and the espondents are directed to extend the benefits of pay parity with Shri Shori Appellant 1, as was done in the case of Appellant 2.

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का वेतन उससे कनिष्ठ व्यक्ति डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल के समान वेतन किया जाये। ऐसे में अपीलार्थी के वेतन को स्टेप–अप करते हुए उनसे कनिष्ठ व्यक्ति डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल के समान करते हुए अपीलार्थी को लाभ दिया जाये। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाये। अपीलार्थी को उपरोक्त लाभ देते हुए देय एरियर की राशि का भुगतान मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधियों को प्रदान किया जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)